2008:CGHC:6305

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक 1084 / 2005

याचिकाकर्ता	ध्रुव कुमार दुबे
	विरुद्ध
उत्तरवादीगण	छत्तीसगढ़ राज्य (अब मध्यप्रदेश) एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु दिनांक 14-5-2008 को सूचीबद्ध।

हस्ताक्षरित /-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति
13-5-2008

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1084/2005

आवेदक

ध्रुव कुमार दुबे, आत्मज श्री आर. जी. दुबे, आयु लगभग **44** वर्ष, निम्न श्रेणी लिपिक, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, मण्डल क्रमांक 1, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर म.प्र., निवासी- नयासरकंडा, बिलासपुर, तहसील एवं जिला – बिलासपुर म.प्र.

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण

1) मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़),
द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल।

2) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
बिलासपुर क्षेत्रीय, बिलासपुर (म.प्र.)।

3) जे.एस. क्षत्रिय, आयु लगभग 45 वर्ष,
प्रथम श्रेणी लिपिक, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, मण्डल क्रमांक 2, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर(म.प्र.)।

4) एम.जी. गोस्वामी, आयु लगभग 45 वर्ष,
एफ.जी.सी., कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जिला बिलासपुरम.प्र.

5) आई.ए. खान, आयु लगभग 40 वर्ष,
एफ.जी.सी., कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
मण्डल क्रमांक 2, बिलासपुर म.प्र.

6) एस.एस. श्रीवास्तव, आयु लगभग 44 वर्ष,
एफ.जी.सी., कार्यालय कार्यपालन
अभियंता, लोक निर्माण विभाग,चांपा
मण्डल, जिला बिलासपुर म.प्र.

7) ए.यू. कुरैशी, आयु लगभग 42 वर्ष,
एफ.जी.सी., कार्यालय कार्यपालन
अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल
क्रमांक 1, बिलासपुर।

8) एम.एल. यादव, आयु लगभग 42 वर्ष,
एफ.जी.सी., कार्यालय कार्यपालन
अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चांपा
मण्डल, जिला बिलासपुरम.प्र.

9) श्रीमती दुर्गा राही, आयु लगभग 40 वर्ष,
एफ.जी.सी., कार्यालय कार्यपालन
अभियंता,लोक निर्माण विभाग, चांपा
मण्डल, बिलासपुर (म.प्र.)

10) आर.सी. धिरही, आयु लगभग 36 वर्ष,
एफ.जी.सी., कार्यालय कार्यपालन
अभियंता, मण्डल क्रमांक 1, बिलासपुर।

11) श्रीमती शाही ध्रुव, आयु लगभग 32 वर्ष,
एफ.जी.सी., कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर म.प्र.

12) यू.एस. केशर, आयु लगभग 45 वर्ष,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2008:CGHC:6305

एफ.जी.सी., कार्यालय कार्यपालन

अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चांपा

मण्डल, जिला बिलासपुर म.प्र.

(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 19 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1986)

एकलपीठ**: माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री**

श्री एम. के. सिन्हा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

श्री अजय द्विवेदी, उप शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से ।

उत्तरवादी क्रमांक 3 से 12 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(आज दिनांक14 मई 2008 को पारित)

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में मध्यप्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जहाँ इसे मूल याचिका क्रमांक 929/1995 के रूप में पंजीकृत किया गया था। न्यायाधिकरण के विघटन के पश्चात यह याचिका इस न्यायालय को आंतरित कर दी गई और इसे रिट याचिका (एस) क्रमांक 1084/2005 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

2. याचिकाकरता अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर के आदेश दिनांक 09.12.1994 (अनुलग्नक अ/14) जिसके द्वारा उत्तरवादीक्रमांक 3 से 12 (जो निम्न श्रेणी लिपिकके पद पर कार्यरत थे), को प्रथम श्रेणी लिपिक के पद पर वेतनमान ₹1150-1800 में पदोन्नत किया गया है, को रद्द करने हेतु यह याचिका प्रस्तुत की है।

3. याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि दिनांक 1.4.1992 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक A/9) तथा दिनांक 1.4.1994को द्वितीय श्रेणी लिपिकों की वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक A/12) को अपास्त कर याचिकाकर्ता को उत्तरवादीगण क्रमांक 3 से 12 के ऊपर वरिष्ठता प्रदान की जाए।

4. याचिकाकर्ता ने यह भी निवेदन किया है कि मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वर्ष 1972 से 1978 तक की वेतनवृद्धि की बकाया राशि प्रदान की जाए।

5. श्री सिन्हा विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित होकर यह कथन किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1969 में समयपाल के पद पर की गई थी और वह दिनांक 05.11.1971 तक उक्त पद पर कार्यरत् था। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 22.10.1971 (अनुलग्नक A/1) के द्वारा याचिकाकर्ता को निम्न श्रेणी लिपिक तथा टंकक के पद पर पदोन्नत किया गया और उसे कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) रायगढ़ के कार्यालय में पदस्थ किया गया । उसने दिनांक 06.11.1971 को कार्यभार ग्रहण किया। नियुक्ति आदेश दिनांक 22.10.1971 के खंड 2 में यह प्रावधान था कि जब तक याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता, उसे ₹90/- की निश्चित राशि वेतन महंगाई भत्ते सहित दी जाएगी। इसके पश्चात् राज्य शासन द्वारा परिपत्र (अनुलग्नक A/2) दिनांक 17.03.1975 को जारी किया गया इसमें यह प्रावधान उल्लेखित है कि जो कर्मचारी 22.08.1973 से पूर्व निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें टंकक की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 1031/1981 (मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारी संघ एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य) में यह निर्णित किया गया कि नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु हिंदी टंकक परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त लगाना अवैध है। फलस्वरूप, राज्य शासन ने परिपत्र (अनुलग्नक A/4) दिनांक 15.01.1992 के द्वारा दिनांक 22.08.1973 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को समाप्त कर दिया गया। तथापि, याचिकाकर्ता ने मुद्रलेखन परीक्षा वर्ष 1977 में उत्तीर्ण की।

6. उत्तरवादी क्रमांक 2 ने आदेश (अनुलग्नक A/5) दिनांक 12.01.1993 के द्वारा याचिकाकर्ता एवं अन्य समान पद वाले कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धियाँ प्रदान कर दी, परंतु याचिकाकर्ता को वेतनवृद्धियों की बकाया राशि नहीं दी। अतः याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.03.1994 (अनुलग्नक A/6) तथा 06.09.1994 (अनुलग्नक A/7) के आधार पर बकाया राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

7. श्री सिन्हा ने कथन किया कि द्वितीय श्रेणी लिपिकों (निम्न श्रेणी लिपिक) की, दिनांक 01.04.1992 की स्थिति में एक अस्थायी वरिष्ठता सूची बिलासपुर क्षेत्रीय द्वारा प्रकाशित कर आपत्तियां मांगी गई थी। याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.06.1993 (अनुलग्नक A/8) के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर उत्तरवादीगण क्रमांक 3 से 12 की वरिष्ठता सूची की मांग की गई। याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण किए बिना, अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 11.08.1993 (अनुलग्नक A/9) को प्रकाशित कर दी गई, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पुनः दिनांक 25.08.1993 (अनुलग्नक A/10) को आपत्ति दर्ज कराई। एक अन्य वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक A/12), दिनांक 1.4.1994 तैयार की गई, जिस पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.12.1994 (अनुलग्नक A/13) के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता द्वारा वरिष्ठता के संबंध में की गई आपत्तियों का निराकरण किए बिना, उत्तरवादीगण क्रमांक 3 से 12 को आदेश (अनुलग्नक A/14) दिनांक 09.12.1994के द्वारा पदोन्नति प्रदान कर दी गई। इस कारण याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता ने एक आवेदन पत्र क्रमांक 1661/2007 याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रस्तुत कर दिनांक 01.04.2005 की वरिष्ठता सूची को अभिलेख पर संलग्न करने की प्रार्थना की है।

8. श्री द्विवेदी, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादीगण क्रमांक 1 एवं 2/ राज्य की ओर से उपस्थित होकर कथन किया है कि वरिष्ठता सूची में संशोधन कर याचिकाकर्ता को वरिष्ठता प्रदान करने का प्रश्न है, वह आदेश (अनुलग्नक R/1) दिनांक 24.12.1997 के आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही वरिष्ठता प्रदान की गई है। जहाँ तक याचिकाकर्ता को शेष वेतन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(एरियर) देने का प्रश्न है, वह भी वेतन-विधेयकों (अनुलग्नक R/2) के द्वारा पहले ही दिया जा चुका है।

9. श्री द्विवेदी ने आगे यह भी कथन किया है कि याचिकाकर्ता के प्रकरण को दिनांक 09.12.1994 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) के समक्ष विचारण हेतु लिया गया था, परंतु याचिकाकर्ता को पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाये जाने के कारण उसे पदोन्नत नहीं किया जा सका।

10. उत्तरवादी क्र. 3 से 12 को प्रकरण का सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी प्रकरण की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ ।

11. श्री द्विवेदी ने यह भी कथन किया कि अन्य उत्तरवादीगण ने पूर्व में ही वरिष्ठ लिपिकीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जैसा कि मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियम 1972 (अनुलग्नक P/15) के नियम 2(घ) में प्रावधानित है। उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिएनिम्न श्रेणी लिपिक को उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था। यदि याचिकाकर्ता को योग्य पाया जाता है, तब उसे उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने एवं अभिलेखों और उससे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

13. याचिकाकर्ता की नियुक्ति आदेशदिनांक 22.10.1971 (अनुलग्नक A/1) के द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक तथा मुद्रलेखक के पद पर अस्थायी रूप में वेतनमान ₹90-178 के आधार पर की गई थी, जिसमें यह शर्त थी कि जब तक वह मध्यप्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता, तब तक उसे ₹90/- की निश्चित वेतन राशि महंगाई भत्ते सहित दी जाएगी। याचिकाकर्ता ने पदभार ग्रहण कर कार्य करना आरंभ किया। याचिकाकर्ता वर्ष 1977 तक मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से पत्र (अनुलग्नक A/2) दिनांक 17.03.1975, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1031/1981 में पारित निर्णय एवं आदेश (अनुलग्नक A/3)दिनांक 16.08.1983 तथा पत्र (अनुलग्नक A/4) दिनांक 15.01.1992 प्रस्तुत की, किन्तु याचिकाकर्ता के पक्ष में उपरोक्त दस्तावेज जिस पर भरोसा जताया गया है, सहायक नहीं हो सकती, क्योंकि उक्त पत्रों एवं निर्णय में उन कर्मचारियों के तथ्यों पर विचार किया गया था, जिनकी नियुक्ति आदेश में मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई शर्त नहीं थी, और उन्हें बाद में जारी आदेशों के माध्यम से मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया गया था। वर्तमान प्रकरण में, मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित हिंदी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना नियमित वेतनमान प्राप्त करने की एक पूर्ववर्ती शर्त थी। दिनांक 17.03.1975 के पत्र (अनुलग्नक A/2), अन्य प्रकरणों से संबंधित होते हुए, निम्नलिखित कथनों को उल्लेखित करता है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

".....किन्तु जिन व्यक्तियों को 22.08.73 के पहले निश्चित वेतनमान पर नियुक्त किया गया था ओर वे यदि निर्धारित समयावधि में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये है उन्हें मध्यप्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा या और मान्यता प्राप्त कोई हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विभागीय टेस्ट लेकर नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा।

जिन व्यक्तियों ने निर्धारित समयावधि में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेक अपनी आवश्यकता को देखते हुए मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए और अधिक समय दे सकता है....."

14. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र.1031/1981 में पारित निर्णय एवं आदेश (अनुलग्नक A/3) दिनांक 16.08.1983 में माननीय न्यायाधीश ने निम्न लिखित तथ्य उल्लिखित किए है:-

"..... उनके नियुक्ति आदेशों में ऐसा कुछ नहीं था कि जब तक वे मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, उन्हें केवल निश्चित वेतन एवं भत्ते ही मिलेंगे तथा वे नियमित वेतनमान के पात्र नहीं होंगे अथवा उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी....."

जिसके पश्चात् शर्त को आरोपित किया जाना अवैध घोषित किया गया था। तथापि, वर्तमान प्रकरण उक्त प्रकरणों से भिन्न है, क्योंकि इस प्रकरण में नियमित वेतनमान प्राप्त करने से पूर्व मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना एक विशिष्ट शर्त के रूप में निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात्, दिनांक 15.01.1992 को जारी पत्र (अनुलग्नक A/4) में राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"..... किन्तु जिन निम्न श्रेणी लिपिकों को निर्धारित समयावधि में हिन्दुमुद्रलेखनपरीक्ष उत्तीर्ण नहीं कर पाये है उन्हें अब मध्यप्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा....."

(15) याचिकाकर्ता के प्रकरण में पत्र (अनुलग्नक A/2) दिनांक 17.03.1975, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रकरण मूल वाद क्रमांक 1031/1981 में पारित निर्णय एवं आदेश (अनुलग्नक A/3) दिनांक 16.08.1983 और पत्र (अनुलग्नक A/4) दिनांक15.01.1992 लागू नहीं होता।

(16) यह विधि का एक सुस्पष्ट एवं स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक नियुक्ति, यदि वह विधिवत् रूप से नियमों के अनुसार नहीं की गई हो, तब वह नियुक्ति-पत्र में उल्लेखित शर्तों द्वारा शासित होती है।

(17) याचिकाकर्ता ने वर्ष 1977 में मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण किया, तदनुसार उसके बाद वरिष्ठता (seniority) का निर्धारण किया गया है एवं उसे नियमित वेतन प्रदान किया गया तथा

बकाया राशि का भी भुगतान किया गया। यदि वरिष्ठता (seniority) का निर्धारण मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने के आधार पर किया गया है तब इस स्तर पर उक्त निर्धारण में हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। जहाँ तक याचिकाकर्ता को उच्च पद पर पदोन्नति देने का प्रश्न है, राज्य शासन की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता के कथन के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति (D.P.C.) की बैठक दिनांक 19.12.1994 को आयोजित की गई थी ।

(18) किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्ति की तिथि से नियमित वेतनमान प्रदान किए जाने के आधार पर किया गया यह दावा कायम रखे जाने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप इस न्यायालय द्वारा कोई परिणामिक अनुतोष भी नहीं दिया जा सकता । यदि भविष्य में विभागीय पदोन्नति समिति (D.P.C.) की बैठक पुनः आयोजित की जाती है, तब यदि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए योग्य पाया जाता है, तब उसका प्रकरण विचारार्थ लिया जा सकता है, जैसा कि राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है।

(19) उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह याचिका खारिज की जाती है। कोई वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित /-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv. Nikhat Shandan Jafri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur